रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222796
CG-DL-E-28102020-222796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3406]	**नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942**
No. 3406]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

(चमड़ा और फुटवियर अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3860(अ).—केंद्रीय सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि यह लोकहित में आवश्यक अथवा समीचीन है, अत: निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चमड़े और अन्य सामग्री से निर्मित फुटवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के अनुज्ञप्ति के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

परंतु कि इस आदेश की बात निर्यात की वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

क्र.सं.	**वस्तु या सामान**	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़	आईएस 1989 (भाग 1): 1986	खनिकों के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़ भाग 1 का विनिर्देशन
		आईएस 1989 (भाग 2): 1986	भारी धातु उद्योग के लिए लेदर सेफ्टी बूट्स और शूज़ भाग 2 का विनिर्देशन
2.	कैनवास शूज़ रबड़ सोल	आईएस 3735: 1996	कैनवस शूज़ रबड़ सोल - विनिर्देशन
3.	कैनवास बूट्स रबड़ सोल	आईएस 3736: 1995	कैनवास बूट्स रबड़ सोल - विनिर्देशन
4.	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवास बूट्स	आईएस 3976: 2018	खनिकों के लिए सेफ्टी रबड़ कैनवस बूट्स - विनिर्देशन
5.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 11226: 1993	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (डमोल्डे)रबड़ सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर - विनिर्देशन
6.	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (मोल्डेड) पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सोल वाले लेदर सेफ्टी फुटवेयर	आईएस 14544: 1998	प्रत्यक्ष रूप से ढाले गए (डमोल्डे) पॉलीविनाइल क्लोराइड सोल वाले लेदर सेफ्टी (पीवीसी) फुटवेयर– विनिर्देशन
7.	स्पोर्ट्स फुटवेयर	आईएस 15844: 2010	स्पोर्ट्स फुटवेयर- विनिर्देशन
8.	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टैक्टिकल बूट्स	आईएस 17012: 2018	पीयू-रबड़ सोल वाले हाई एंकल टैक्टिकल बूट्स – विनिर्देशन
9.	एंटीरॉयट शूज़	आईएस 17037: 2018	एंटीरॉयट शूज़– विनिर्देशन
10.	डर्बी शूज़	आईएस 17043: 2018	डर्बी शूज़– विनिर्देशन

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर प्रकाशित और अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-27025/4/2020-चमड़ा]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(LEATHER AND FOOTWEAR SECTION)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3860(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement – (1) This Order may be called the Footwear made from Leather and other materials (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force from the dated of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in the column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in the column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.

3. Certification and Enforcement Authority:- The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (2) of the said Table.

TABLE

Sr. No.	**Goods or articles**	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Leather safety boots and shoes	IS 1989 (Part 1): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 1 for miners
		IS 1989 (Part.2): 1986	Specification for leather safety boots and shoes Part 2 for heavy metal industries
2.	Canvas Shoes Rubber Sole	IS 3735: 1996	Canvas Shoes, Rubber Sole- Specification
3.	Canvas Boots Rubber Sole	IS 3736: 1995	Canvas Boots, Rubber Sole- Specification
4.	Safety Rubber Canvas Boots for Miners	IS 3976: 2018	Safety Rubber Canvas Boots for Miners- Specification
5.	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole	IS 11226: 1993	Leather safety footwear having direct moulded rubber sole-Specification
6.	Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole	IS 14544: 1998	Leather safety footwear with direct moulded polyvinyl chloride (PVC) sole – Specification
7.	Sports footwear	IS 15844: 2010	Sports Footwear- Specification
8.	High ankle tactical boots with PU - Rubber sole	IS 17012: 2018	High ankle tactical boots with PU - Rubber Sole – Specification
9.	Antiriot shoes	IS 17037: 2018	Antiriot shoes – Specification
10.	Derby shoes	IS 17043: 2018	Derby shoes – Specification

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-27025/4/2020-Leather]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.